रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1160] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931
No. 1160] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2009

का.आ. 1826(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 78(अ), तारीख 4 फरवरी, 1999, द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 0.00 कि.मी. से 27.80 कि.मी. और 122.00 कि.मी. से 417.00 कि.मी. (चैन्नई-डिंडिगुल सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में प्राधिकरण ने तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 192.250 कि.मी. (उलनदरूपेट के पास) से 285.000 कि.मी. (पदालूर के पास) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विद्यमान दो लेन वाले भाग को चार लेन बनाने, वहन मार्ग में विभाजित करने, विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स त्रिचि टोलवे प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 1-90/ए/प्लाट नम्बर 20 और 21 आर बी आई कालोनी, मधापुर, हैदराबाद-560025 है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सैक्शन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्वलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के मध्य किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर फीस इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति तक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

रियायतग्राही उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों पर फीस उक्त सारणी के स्तंभ (3) मे विनिर्दिष्ट फीस की आधार दर पर संग्रहीत और प्रतिधारित करेगा जो कि 1 जुलाई 1997 से लागू होगा।

फीस 192.750 कि.मी. और 244.00 कि.मी. पर स्थित पथकर प्लाजा पर संग्रहीत की जाएगी।

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	आधार फीस प्रति कि.मी. प्रति यान प्रति फेरा की दर (रूपए प्रति कि.मी.)
(1)	(2)	(3)
1.	कार यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यक यान (एल सी वी)	0.70
3.	ट्रक/बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान(>दो धुरीय)	2.25

टिप्पणः-

1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ,-

(i) "वास्तविक फीस" से उक्त खंड के सड़क उपयोक्ताओं से प्रभारित निम्नलिखित के आधार पर वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;

(क) प्रत्येक पथकर प्लाजा पर नियत परियोजना राजमार्ग की लम्बाई

(ख) सारणी में दी गई आधार फीस की दर

और जो पांच रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन स्वतन्त्र सलाहकार द्वारा, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त सेक्शन के पूरा होने पर, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।

(iii) संदेय फीस के सम्बंध में 'स्थानीय यातायात' निम्नलिखित कार/जीप/वैन के लिए संदेह योग्य फीस के संबन्ध में यातायात के निम्नलिखित प्रवर्ग अभिप्रेत है अर्थात् :-

(a) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग I" से निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक में आने वाले उपभोक्ता सम्मिलित है -

(1) ऐसे ग्रामों / कस्बों / शहरों के निवासी जिनकी सीमा फीस संग्रहण बूथ के दस कि.मी. के घेरे के भीतर आती है ;

(2) फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन / औद्योगिक इकाइयाँ ;

(3) ऐसे स्थापनों / औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी, जो कार्यालय फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या उनका कार्यालय है ; और

(4) स्वनियोजित व्यक्ति / कारोबारी जिनका कार्य का स्थान फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित है ।

(b) 'स्थानीय यातायात प्रवर्ग II' से निम्नलिखित प्रवर्गों में से कोई आने वाले उपभोक्ता अभिप्रेत और सम्मिलित है

(1) ऐसे ग्रामों / कस्बों / शहरों के निवासी जिनकी सीमा फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस से अधिक परन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर आती है ;

(2) फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक परन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित या स्थापन औद्योगिक इकाइयां है ,

(3) ऐसे स्थापनों / औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी जो फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक परन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित है या जिनका कार्यालय स्थित है ; और

(4) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक परन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर है ।

(iv) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ;

(v) उन शब्दो और पदों के, जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त धारा के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में हैं ।

2. प्रत्येक पथकर प्लाजा के लिए संग्रहित वास्तविक फीस और उसका पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी उसका पुनरीक्षण निम्नानुसार की जाएगी:-

$$\text{आधार फीस} \times \frac{\text{थो.की.सू. ख}}{\text{थो.की.सू. क}} \times \text{उक्त सेक्शन की लम्बाई का 50 \% अर्थात् 46.947 कि. मी.}$$

जहां

- थो.की.सू. क जून 1997 (131.4) को थोक कीमत सूचकांक है ;

- थो.की.सू. ख पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए उपलब्ध थोक कीमत सूचकांक है ;
- थो.की.सू. से आर्थिक सलाहकार, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक अभिप्रेत है ।

3. जब उसी यान को किसी दिन उक्त सेक्शन को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में, पथकर बूथ को पार करते समय उपरोक्त सारणी के स्तम्भ तीन में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ गुना संदाय कर दे और जहां किसी यांत्रिक यान को उक्त सेक्शन का पूरे मास या उसके पश्चात् में निरंतर और बार-बार प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी उक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट एक फेरे के लिए उसको लागू दर का तीस गुना के समतुल्य प्रभारों को संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

4. निम्नलिखित यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नही की जाएगी, अर्थातः-

(i) ऐसे यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;
(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;
(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;
(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय या राज्य मंत्री या लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या
(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ii) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।

(iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।

5. रियायतग्राही स्थानीय यातायात से निम्निलिखित छूट दरों से अधिक फीस वसूल नहीं करेगा अर्थात्:

(क) कार/जीप/वैन के लिए

(i) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1 : 150.00 रूपये का मासिक पास ;
(ii) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2 : 300.00 रूपये का मासिक पास ;

(ख) बसें

राज्य परिवहन बसों की दशा में ऐसे सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणन पर जो महाप्रबंधक राज्य सरकार सडक परिवहन की पंक्ति से निम्न नहीं होगा द्वारा उस मार्ग पर प्रतिदिन चलने वाली बसों की संख्या प्रमाणित किए जाने पर उपरोक्त सारणी में बस के लिए दी गई दर के तीस गुना दर पर मासिक पास दिए जाएंगे और प्राइवेट प्रचालकों के मामले में जिला परिवहन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मार्ग प्रचालन के लिए अपने मार्ग परमिट और मार्ग प्रचालन की समय सारणी प्रस्तुत किये जाने पर उपरोक्त सारणी मे बस के लिये विनिर्दिष्ट दर के तीस गुना दर पर मासिक पास दिए जाएंगे ।

(ग) स्कूली छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए पथकर प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्राचार्य के लिखित अनुरोध के साथ स्कूल की मान्यता तथा बस का रजिस्ट्रीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्राप्ति पर 1000/- (एक हजार रूपये) की दर से मासिक पास जारी किया जायेगा ।

(घ) हल्के वाणिज्यिक यान/ट्रक : (स्थानीय परिवहन प्रचालकों)

स्थानीय परिवहन प्रचालकों कों 20 कि.मी. के भीतर उन्हे चलानें का सबूत अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की वापसी के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान के लिए माल का चालान प्रस्तुत करने पर प्रत्येक प्रवेश पर ट्रकों के लिये पच्चीस रूपये और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिये पन्द्रह रूपये दर पर रियायत फीस दी जाएगी ।

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात द्वारा स्वतंत्र उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन खुली हुई है वहाँ रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यानों से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत तभी करेगा यदि वे उक्त सेक्शन का उपयोग करते है ।

272768/08-2

6. जब कभी किसी सेवा लेन का निर्माण किया जाएगा तो रियायतग्राही ऐसी लेन के उपयोक्ताओं से कोई फीस संग्रहीत नही करेगा ।

7. यदि किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उदगृहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी के अंतर्गत नहीं आते है ।

8. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले, इस अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार वाणिज्य प्रचालन भी अधिसूचित करेगा और सार को पुनरीक्षित फीस को प्रभाव देने से दस दिन पहले पुनः प्रकाशित करेगा ।

9. रियायतग्राही, किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भार साधक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो रियायतग्राही के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नही हो रहा है और फीस का संग्रहण सड़क उपयोक्ताओं को और उससे संबंधित विषयों के लिए असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है ।

10. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी पथकर प्लाजों से 500 मी. आगे, पथकर प्लाजों से 100 मी. आगे और पथकर प्लाजों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी और प्रदर्शित बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए प्रदर्शित बोर्ड का पढ़ना आसान हो सकें ।

11. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्रप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणियां कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्प्ष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी ।

[फा. सं. एन एच ए आई/13013/446/08-09/सी.ओ./जीसी त्रिचि (192.25–285.0) बीओटी]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2009

S.O. 1826(E).— Whereas, vide the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) notification number S.O. 78 (E),dated the 4th, February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred

to as said Act, the Central Government entrusted the stretches from Km 0.00 - Km 27.80 and Km 122.00 - Km 417.00 (Chennai - Dindigul section) of National Highway No. 45 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Trichy Tollway Private Limited having its registered office at 1 - 90/A/ Plot No 20 and 21, RBI Colony, Madhapur, Hyderabad - 560025, (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing two lane road to four lane divided carriageway from Km 192.250 (near Ulundrupet) to Km 285.000 (near Padalur) of the National Highway Number 45 (hereinafter referred to as the said section) in the state of Tamil Nadu;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in the Schedule annexed hereto and authorises the said Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date .

SCHEDULE

The Concessionaire shall collect and retain the fee on mechanical vehicles specified in column (2) of the following Table, for the use of the said section, at the rate of base fee specified in column (3) of the said Table applicable as on the 1st July, 1997.

The fee shall be collected at the Toll Plazas at Km. 192.750 and Km 244.00.

Table

S. No.	Category of Vehicle	Rate of base fee per Km per vehicle per one way trip (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1	Car, Passenger Van or Jeep	0.40
2	Light Commercial Vehicles (LCV)	0.70
3	Truck/Bus	1.40
4	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	2.25

Notes:-

1. For the purposes of this notification,-

(i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of,-
(a) length of the project highway assigned to each plaza, and
(b) base fee given in the above Table,
and shall be rounded off to the nearest five rupees.

(ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification, as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the Concession Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(iii) "local traffic" means the following type of traffic in relation to the fee payable for car/jeep/van:-

(a) "Local Traffic" category I" means and includes users falling into any of the following categories:-

(1) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza).
(2) establishments /industrial units located within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza).
(3) employees of establishments/industrial units located or which have their office, within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza); and
(4) self employed persons./businessmen having a place of work within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza).

(b) "Local Traffic category II" means and includes local users falling into any of the following categories:-

(1) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
(2) establishments/industrial units located within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
(3) employees of establishments/ industrial units located or which have their office, within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza); and

(4) self employed persons/business having a place of work within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza).

(iv) "termination date" means the date on which the concession agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(v) Words and expressions used in this notification and not defined but defined in the concession agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the meanings respectively assigned to them in the said agreement.

2. The actual rate of fee and the revision thereof effective from 1st September every year shall be computed for each toll plaza as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times 50\% \text{ of the length of the said section i.e. } 46.947 \text{ Km.}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997(131.4).
- WPI-B = is the Wholesale Price Index available for the end of the preceding financial year.
- WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.

3. When a vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and half times the rates as given in the above Table while crossing the toll plaza in the first trip itself and where a vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month or even beyond that, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate applicable for single trip as specified in the aforesaid Table.

Explanation.- For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

2727 GI/05-3

4. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(i) Vehicles-

(A) having VIP symbols or officially belonging to-

(a) the President of India;
(b) the Vice-President of India;
(c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory;
(d) a Foreign dignitary on State visit to India;
(e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
(f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;
(g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

(iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

5. Concessionaire shall not collect fees from Local Traffic in the excess of the following discounted rate;

(a) Car/Jeep/Van:

i) Local Traffic Category I:	Monthly pass of Rs 150.00;
ii) Local Traffic Category II:	Monthly pass of Rs 300.00;

(b) Buses : Monthly passes may be issued on payment of thirty times of the single journey rates applicable for the said section, in case of State Transport buses, on the certification of the competent authority (not below the rank of General Manager, State Government Road Transport) certifying the number of buses plying on the route per day and in case of private local operators, on production of their route permit and timetable of the route operation duly certified by the District Transport Authority;

(c) School Buses: Monthly passes may be issued for school buses, crossing the toll plaza, at a monthly rate of rupees one thousand after obtaining written request of the school principal along with the documents showing recognition of the school and the registration of the bus;

(d) Light Commercial Vehicle or Trucks (Local Transport Operators): Concessional fee may be obtained from the Local Transport Operators on production of proof for plying within twenty kilometers i.e. goods challan showing origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle and the said fee for such transport shall be rupees twenty five for trucks for each entry and rupees fifteen for Light Commercial Vehicle for each entry:

Provided, that if a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall levy and collect fee from such local traffic, if they use the four lane highway.

6. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane.

7. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle, which is not covered under column (2) of the above Table.

8. The concessionaire shall publish the substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

9. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire and the said officer shall be responsible to ensure that fee are collected at not more than the agreed rates and the fee colletion is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.

10. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

11. The actual fee to be charged from users shall be computed by the concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March , in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effected so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/446/08-09/CO/GC Trichy (192.25-285.0) BOT]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054